न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 38 / 2022

1 भंवर सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामसिंह पुत्र मदन सिंह।
2 मंगल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह।
3 श्याम सिंह पुत्र मदन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 25.01.2022 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी भंवर सिंह बनाम रामसिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 150 / 2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री योगेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 9.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 150/2021 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट भंवरसिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम बागोली तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 857 अवस्थित है। रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 की खातेदारी में खसरा नम्बर 855, 856 है। प्रार्थी/अपीलांट की भूमि 857 खसरा नम्बर में आने—जाने का रास्ता बागोली से खेतड़ी जाने वाली सड़क से फटकर भूमि खसरा नम्बर 855, 856 की उतरी सीमा—सीमा होता हुआ उक्त रास्ता 12 फीट चौड़ाई व करीबन 315 फुट लंबा जिसे प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा मे बी से सी बिन्दू से दर्शाया है। उक्त रास्ते से प्रार्थी अपने पिता के जीवनकाल से अर्थात् पिछले 60 साल से अधिक समय से आवाजाही करता चला आया है। उक्त बी से सी रास्ते के अलावा भूमि खसरा नम्बर 857 में आने—जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है और इसी रास्ते से ट्रेक्टर—ऊंटगाडी लाता—ले जाता है। रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 पिछले तीन—चार महिने से बी से सी रास्ते की उतरी सीमा पर डण्डा लगाकर रास्ते की जगह छोड़कर पूर्वी सीमा पर भी डण्डा लगा दिया है। प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि इस रास्ते को बंद करेंगे जिस पर न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 को तलब किया। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

1 लगायत 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। न्यायालय के समक्ष पटवारी मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसके बाबत प्रार्थी ने आपति व्यक्त की। विचारण न्यायालय ने आपत्ति को निस्तारित किये जाने से पहले ही मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि धारा 251 ए में मौका रिपोर्ट हेतु आज्ञापक प्रावधान है कि भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई हैं एवं मौका रिपोर्ट से पूर्व अपीलांट को सूचित भी नहीं किया गया है। अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी का है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे रेव 2023(2) पेज 1048, डीएनजे रेव 2022(2) पेज 1368, डीएनजे रेव 2023(2) पेज 1131 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम बागोली भूमि खसरा नम्बर 857 व इसमें बने मकानों में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 855 व 856 की उत्तरी सीमा–सीमा होता हुआ 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा था। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे बी से सी बिन्दु से दर्शाया हैं। उक्त प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 08.09.2021 प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थी वकील ने ऐतराज प्रकट किया। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 857 में आवाजाही 855, 856, 854, 853 की सीमाओं पर होता हुआ खसरा नम्बर 858 में जाता है जोकि प्रार्थी भंवरसिंह का है जिसके सहारे खसरा नम्बर 857 में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आवागमन हो रहा है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता की लम्बाई 115 मीटर है जबकि इससे नजदीक का रास्ता खसरा नम्बर 855, 856, 854, 853 की सीमाओं पर 85 मीटर का हैं जो कि वादी के खसरा नम्बर 858 में जाता है एवं खसरा नम्बर 857 व 858 की सीमाएं एक ही है। वादी द्वारा चाहे गये रास्ते में खसरा नम्बर 855, 890, 856, 889 की सीमाओं पर 6 फीट उच्चा व 1 1/4 फीट चौड़ा पुख्ता डण्डा भी लगा हुआ है। खसरा नम्बर 858 में जाने वाला रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 854 तक 10 से 12 फीट तक खुला हुआ तथा आगे पगडण्डी से आवागमन वर्तमान में किया जा रहा है। वादी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता कम दूरी का है। अतः मौका निरीक्षण फर्द से साबित है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 855, 856 में से चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य न्युनतम दुरी का रास्ता स्वयं प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में मौजूद है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम बागोली भूमि खसरा नम्बर 857 व इसमें बने मकानों में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 855 व 856 की उत्तरी सीमा–सीमा होता हुआ 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा था। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे बी से सी बिन्दु से दर्शाया हैं। उक्त प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 08.09.2021 प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थी वकील ने ऐतराज प्रकट किया। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 857 में आवाजाही 855, 856, 854, 853 की सीमाओं पर होता हुआ खसरा नम्बर 858 में जाता है जोकि प्रार्थी भंवरसिंह का है जिसके सहारे खसरा नम्बर 857 में आवागमन हो रहा है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता की लम्बाई 115 मीटर है

जबकि इससे नजदीक का रास्ता खसरा नम्बर 855, 856, 854, 853 की सीमाओं पर 85 मीटर का है जो कि वादी के खसरा नम्बर 858 में जाता है एवं खसरा नम्बर 857 व 858 की सीमाएं एक ही है। वादी द्वारा चाहे गये रास्ते में खसरा नम्बर 855, 890, 856, 889 की सीमाओं पर 6 फीट उच्चा व 1 1/4 फीट चौड़ा पुख्ता डण्डा भी लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते के सन्दर्भ में विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

जहां तक धारा 251ए के प्रावधानों का सम्बंध है प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। अपीलांट विधि अनुसार निकटतम दूरी का रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। इस सन्दर्भ में पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 858 में जाने वाला रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 854 तक 10 से 12 फीट तक खुला हुआ तथा आगे पगडण्डी से आवागमन वर्तमान में किया जा रहा है। वादी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता कम दूरी का है। अतः मौका निरीक्षण फर्द से साबित है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 855, 856 में से चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य न्युनतम दुरी का रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय यथावत रखा जाता है किन्तु प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार निकटतम दूरी का रास्ता दिये जाने हेतु सम्बंधित काश्तकारों को पक्षकार संयोजित कर पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धाजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर